न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 05/2024
3. उनवान : सरकार जरिये श्री राजेश कुमार नागर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

नोरतमल सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स– पूरण मिष्ठान भण्डार, गाँधी चौक, फुलेरा, जिला–जयपुर–303338 निवासी अजमेरी गेट के पास, श्रीराम नगर, फुलेरा, जयपुर–303338 मोबाइल नं० 8209103970

–अभियुक्त

4. निर्णय दिनांक : 23/10/2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री मयंक गुप्ता अप्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51, 54 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक राजेश कुमार नागर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 04–11–2023 को समय दोपहर 1.30 पी.एम. मैसर्स पूरण मिष्ठान भण्डार, गाँधी चौक, फुलेरा, जिला–जयपुर पर पंहुचे। वहां पर नोरतमल सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को अपनी फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। नोरतमल सैनी को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नोरतमल सैनी से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान लगभग 8 किलोग्राम मावा बर्फी जो कि आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम मावा बर्फी खरीदकर उसकी कीमत 600/– रुपये विक्रेता नोरतमल सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री शिव चरण सैनी एवं श्री रमेश चन्द यादव के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतिया एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे नोरतमल सैनी ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता नोरतमल सैनी को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम मावा बर्फी को विक्रेता एवं गवाहान की चार खाली साफ एवं सूखी

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

प्लास्टिक की चोडे मुंह की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा 2 किलोग्राम मावा बर्फी को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एन–3680 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न: एन–3680 नियमानुसार चारों नमूना भाग) पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग गय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी • जयपुर द्वितीय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1175 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/4729/एक्ट/2023/4982 दिनांक 05.12.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम मावा बर्फी सबस्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1) (1) पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली श्रीमान अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की। जिस पर अभिहीत अधिकारी द्वार पत्रांक क्रमांक एफएसएसए/2024/347 दिनांक 08.04.2023 द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाइल करने हेतु अधिकृत किया गया है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी द्वारा मैसर्स पूरण मिष्ठान भण्डार, गाँधी चौक, फुलेरा, जिला–जयपुर द्वारा सबस्टैण्डर्ड मावा बर्फी विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को असालतन/वकालतन अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मयक गुप्ता ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 08.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से पेश जवाब में अंकित है कि किसी पदार्थ का नमूना मानकों के अनुरुप नही पाये जाने का मतलब यह नहीं कि पदार्थ असुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम नहीं है। उक्त नमूने का विश्लेषण किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नही किया गया है।

अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 04.11.2023 को कथित नमूना लिया और खाद्य विश्लेषक ने इसकी रिपोर्ट 05.12.2023 को पेश की। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 42(2) व 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषक अधिकारी नमूना प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। अतः शिकायत खारिज की जा सकती है क्योंकि प्रतिवादी खाद्य पदार्थों का एक छोटा खुदरा विक्रेता है, जहां बिक्री का वार्षिक कारोबार 12 लाख प्रति वर्ष तक है। प्रतिवादी धारा 31 खंड की श्रेणी में आता है। खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस एवं पंजीकरण (2) उप धारा (1) में कुछ भी शामिल नहीं है जो एक छोटे निर्माता पर लागू होगी। अन्त में मामले को जुर्माने सहित खारिज करने का निवेदन किया है।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस/4729/एक्ट/2023/4982 दिनांक 05–12–2023 के अनुसार वास्ते नमूना विक्रय सामग्री खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम मावा बर्फी सब स्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1) (1) पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि किसी पदार्थ का नमूना मानकों के अनुरुप नहीं पाये जाने का मतलब यह नहीं कि पदार्थ असुरक्षित है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेने के लिए सक्षम नहीं है। उक्त नमूने का विश्लेषण किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नहीं किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 04.11.2023 को कथित नमूना लिया और खाद्य विश्लेषक ने इसकी रिपोर्ट 05.12.2023 को पेश की। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 42(2) व 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषक अधिकारी नमूना प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। अतः शिकायत खारिज की जा सकती है क्योंकि प्रतिवादी खाद्य पदार्थों का एक छोटा खुदरा विक्रेता है, जहां बिक्री का वार्षिक कारोबार 12 लाख प्रति वर्ष तक है। प्रतिवादी धारा 31 खंड की श्रेणी में आता है। खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस एवं पंजीकरण (2) उप धारा (1) में कुछ भी शामिल नहीं है जो एक छोटे निर्माता पर लागू होगी। अन्त में मामले को जुर्माने सहित खारिज करने का निवेदन किया है। अपनी बहस के समर्थन में HC MADRAS Crl. O.P. (MD) no. 6326/2018, Crl. M.P. no. 3004 and 3005 of 2018, HC Rajasthan SB Criminal Misc. Petition No. 5492/2015 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दक्षिण, जयपुर के प्रकरण सं0 169/2022 तथा प्रकरण सं0 170/2022 निर्णय दिनांक 16/07/2024 एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के प्रकरण सं0 05/2024 निर्णय दिनांक 24/07/2024 के न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं।

हमने आवेदन पत्र एवं अभियुक्त के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार एवं विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर है। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/4729/एक्ट/2023/4982 दिनांक 05.12.2023 के

अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ 2 किलोग्राम मावा बर्फी सबस्टैण्डर्ड एवं The Sample is also food containing extraneous matter (foreign fat) under section 3(1) (1) पाया गया। अप्रार्थी ने जवाब में अंकित किया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सेक्शन 42(2) व 46(3) के अनुसार खाद्य विश्लेषक अधिकारी नमूना प्राप्त होने के 14 दिवस के भीतर रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य है। परन्तु रिपोर्ट भेजने के दिनों का मियाद बाहर होना मावा बर्फी में बाह्य वसा की मिलावट होना तथा सबस्टैण्डर्ड होने पर प्रभाव नहीं डालता है। साथ ही मावा बर्फी में extraneous matter (foreign fat) भी पाया गया है। जो कि बाह्य पदार्थ की मिलावट माना जाता है तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत व अन्य दस्तावेज प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि सब-स्टेण्डर्ड मावा बर्फी का क्रय/निर्माण करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्त नोरतमल सैनी द्वारा सब-स्टेण्डर्ड मावा बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 50, 51, 52 व 54 के तहत अभियुक्त मूलचन्द जाट पर 25000/- रुपये (राशि अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थी द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय),जयपुर

अति. जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर